तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टी.ए. / 3166 / 2003 / जोधपुर बाबूलाल बनाम विजय पूनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण

श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 11/2002 में पारित निर्णय दिनांक 23–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या– 12 से 23 के पूर्वज स्वगीय ओकारदत्त ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अंकित ग्राम नान्दडी स्थित विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद घोषणा खातेदार, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 12–07–1979 से डिक्री कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रतिवादी संख्या–1 तेजाराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के बीच आपसी राजीनामा दिनांक 18–01–1983 को पेश हुआ, जिसके अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण कर मूल राजीनामें सहित प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में प्रतिवादी संख्या–6 की आरे से जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आठ तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टी.ए. / 3166 / 2003 / जोधपुर बाबूलाल बनाम विजय पूनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय दिनांक 27-07-2000 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद खारिज कर दिया तथा अभिलिखित हिस्से अनुसार राजीनामें के आधार पर पर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या-1 लगायत 10 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या-11/2002 प्रस्तुत की, जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 23-03-2003 से स्वीकार कर बंटवारे से सम्बन्धित पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मौके पर आपसी विभाजन पुराना चला आ रहा है एवं उस विभाजन अनुसार एवं पक्षकारों के आपसी राजीनामें व सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की, जिसमें प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है। उनका कथन है कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रत्येक मामले में प्रारम्भिक डिक्री जारी करना कानूनी आवश्यक नहीं है, इसके अतिरिक्त सहमति से विभाजन किये जाने के स्पष्ट प्रावधान है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण संख्या-1 से 10 प्रतिवादी संख्या-6 पृथ्वीराज के हिस्से की भूमि के खरीददार है। पृथ्वीराज ने आपसी विभाजन में विवादित खसरा नम्बर 1, 4, 6/2 व 13 उसके पिता से प्राप्त होना जवाबदावे में लिखा है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टी.ए. / 3166 / 2003 / जोधपुर बाबूलाल बनाम विजय पूनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा विचारण न्यायालय ने इन्हीं खसरा नम्बर को उसके हिस्से में दिया है, जिसका एतराज पृथ्वीराज या उसके पश्चात् विवादित आराजी के खरीददार नहीं कर सकते। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 1, 4 13 एवं 6/2 के अलावा भूमि का विभाजन एकपक्षीय डिक्री दिनांक 12-7-1979 के द्वारा हो गया था, जिसके विरूद्ध किसी भी पक्षकार की कोई अपील या आपत्ति नहीं थी, जो डिक्री अन्तिम हो चुकी है, जिसके प्रभाव में रहते सभी भूमि का नया विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 11/2002 में पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी पृथ्वीराज राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा उसकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी ओर से जवाबदावे के साथ बंटवारा का अनुतोष चाहा किन्तु विचारण न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर पक्षकारों के बीच बंट अनुसार काबिज मानते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने में कानूनी एवं विधिक भूल की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने बंटवारे के वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में उल्लेखित प्रक्रिया की अपना किये बिना बंटवारे की अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य थी। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण संख्या-1 लगायत 10 ने विवादित आराजी पृथ्वीराज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की, जिसके आधार पर क्रेतागण विवादित आराजी के राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टी.ए. / 3166 / 2003 / जोधपुर बाबूलाल बनाम विजय पूनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख में सहखातेदार दर्ज है। उनका कथन है कि जब तक विवादित आराजी के सहखातेदारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर हिस्से अनुसार अधिकार बनता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 तेजराम की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18–01–1983 के आधार पर सहखातेदारों को बंट अनुसार काबिज मानते हुए विवादित आराजी के बंटवारे की अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रतिवादी संख्या–6 पृथ्वीराज की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष कोई राजीनामा दिनांक 18–01–1983 को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय के उपरान्त विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसके उपरान्त मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आठ तनकीयात कायम की गयी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय पूर्व में प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर बंटवारे के वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टी.ए. / 3166 / 2003 / जोधपुर बाबूलाल बनाम विजय पूनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विभाजन के वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम, 1955 की धारा 53 में उल्लेखित विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए सहखातेदारों के मध्य विवादित आराजी के विभाजन बाबत् विधिसम्मत् निर्णय पारित करना चाहिए। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-04-2003 की पुष्टि की जाती है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे सहायक कलक्टर, मुख्यालय, जोधपुर के न्यायालय में दिनांक 28.02.2019 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	